न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान ....फूलचन्द.... बनाम ....उमेश....

किस्म मुकदमा ....रेस्टोरेशन प्रा. पत्र.... अपील संख्या ....2025/53....

अभिभाषक अपीलान्ट ....श्री घनश्याम गर्ग.... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17.12.25	पत्रावली रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु पेश हुई है। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित। उक्त पत्रावली अभिभाषक अपीलांट व अपीलांटगण के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.2019 से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी। हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी। हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किय: जाकर मूल पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र नम्बर से कम किया जाकर मूल पत्रावली के साथ सलंग्न किया जावे। (दीप्ति रामचेन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
महोदय कोटा

फूलचन्द पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रावां तह० छीपाबड़ौद
जिला बारां (राज०) — अपीलार्थी/प्रार्थी

बनाम

(1) उमेश @ हिंदू पुत्र फूलचन्द जाति मीणा निवासी रावाँ तह० छीपाबड़ौद
(2) कजोड़ पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी रावां तह० छीपाबड़ौद
(3) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)
— रेस्पो० / अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 R.T. Act
अपील संख्या 236/2015

प्रार्थनापत्र वास्ते अपील पुनः नम्बर पर लिए जाने हेतु। अन्तर्गत आदेश 9 नियम 19 व धारा 151 CPC

मान्यवर,

प्रार्थी/अपीलार्थी निम्न निवेदन करता है।

1 — यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 121/2012 निर्णय डिक्री दिनांक 30.4.2015 बाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act बउनवान मुकदमा उमेश उर्फ हिंदू बनाम गोपाल वगैरहा की अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जो रेस्पो० क्रम 1 लगायत 3 की तलबी में जेरकार थी। तथा उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ था। लेकिन बिना तलबी रेस्पो० हुए दिनांक 24.7.2019 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई।

2 — यह कि प्रार्थी/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष उप० नहीं होने के कारण

नि० अ०
फूलचन्द

क्रमशः - 2